(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

साहस माल बनाम अनिता वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 11 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
28.05.25	अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीया कमली देवी धर्मपत्नि रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम समदपुरा की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा व प्रा0पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पक्ष में स्वयं को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के रूप में विवादित ख0न0 249, 250, 251 के 1/12 हिस्से का खातेदार होना अंकित किया तथा उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश न कर सीधे बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी व अधिवक्ता प्रार्थीया कमली देवी की प्रा0पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. के अवलोकन किया गया। प्रार्थीया कमली देवी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विवादित आराजीयात में से भूमि आराजी ख0न0 249, 250, 251 में 1/12 हिस्सा क्रय किया है। प्रार्थीया कमली देवी एक सद्भावी क्रेता है, जो की प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है। प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रार्थीया कमली देवी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में प्रार्थीया कमली देवी को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है। संशोधित शीर्षक पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी व प्रतिपक्षी संख्या 21 ने प्रस्तुत पत्रावली में बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में बताया की 175, 176, 177, 249, 250, 251 कुल किता 06 कुल रकबा 2.7946 हैक्ट. वाके ग्राम समदपुरा, पटवार हल्का नयाटीला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी/वादी व प्रतिपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजीयात है।	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी/वादी का 1/12 हिस्सा है। शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 17 का है। प्रार्थी/वादी अपने हक, हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आराजीयात का विधिवत् बंटवारा नही हुआ है। लेकिन प्रतिपक्षीगण उक्त भूमियो का बिना तकासमा करवाये अजनबी व्यक्तियो को रहन, दान, बेचान तथा राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करना चाहते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में मजामहत व मदाखलत करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिपक्षी संख्या 21 कमली देवी की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने अपनी बहस में बताया की प्रतिपक्षी संख्या 21 कमली देवी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 21.05.2025 द्वारा ख0न0 249, 250, 251 में खातेदार पप्पू पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम समदपुरा का 1/12 हिस्सा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज है। लेकिन वादी/प्रार्थी ने तथ्य छुपाकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहता है। जिससे प्रार्थीया के हक में हुए विक्रय पत्र का राजस्व रिकॉर्ड में अमल नही हो सके। प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी संख्या 21 कमली देवी को हेरान, परेशान करने व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के राजस्व रिकॉर्ड में अमल रोकने के उद्देश्य से पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी/वादी व अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 21 की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 175, 176, 177, 249, 250, 251 कुल किता 06 कुल रकबा 2.7946 हैक्ट. वाके ग्राम समदपुरा, पटवार हल्का नयाटीला में प्रार्थी के हक, हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 20 की तलबी जारी हो, यदि इस आदेश के जारी होने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत...मुकाम...

.... सहस माल ....बनाम........................ अनिता वगै. ....

म मुकदमा...नं. .... 44 .... सन् 2025 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अप्रार्थी/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली वास्ते आदेशिका अनुसार दिनांक 10.9.25 .... पेश हो। Ram	
10/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। अधिवक्ता वादी द्वारा Note मूल वाद को अधिवक्ता वादी द्वारा Note मूल वाद को अधिवक्ता वादी द्वारा Note Press किया जा चुका है। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	